

वाणिज्यिक एवं न्यायिक
विभाग, रायपुर

रायपुर एवं न्यायिक
विभाग, रायपुर

किसम मुकदमा: राजेश वाद अधीन धारा: S3, 188 R.A.Ct मु.नं.: 138/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20/11/18	<p>उक्त वाद वादी ने परिवारीक के विभागाध्यक्ष अर्जेंट द्वारा S3, 188 R.A.Ct के तहत वकील वादीका आवेदन वाद पत्र द्वारा S3, 188 R.A.Ct के तहत है। शक्ति ही वादी को सुन वादी ने कथन किया की ग्राम रायपुर के इका 122, 136/120 में खादीवादी गैरीकला सुडा पत्नी ने परिवारीक परवाना कर कब्जा करने पर उतारु ही उन्हें पब्लिक करमार्के परिवारीक को कैप में सुनाया गया परिवारीक उपर अपरपं ग्राम - 2 ताल उपर पक्षकारा के आपस में बर्तन सामान्य करने पर परवांरा करने पर बरहमत होने से कैप में उपनिर्त तहसीलदा लुपाम के निर्दिष्ट जय की पलकारा का शीगीनामा काफिले परवांरा करी पलकारा द्वारा शशीनामा पत्र किंग 1 किंग अपरपं जे हांताइ रुकी शशीनामा इरा 1 किंग किंग मिला वादीके आवेदन वाद पत्र में कार्यवाही होखे नहीं होने से पत्रवादी जम्मा से काल होकर फॉर्मल जाओ किंग सर्व ग्राम कैप - 2 ताल में सुनाया गया</p>	

उपरोक्त अधिका
कृपया न्यायिक
विभाग, रायपुर